

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2009/आश्विन 21, 1931

No. 590]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2009/ASVINA 21, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर 2009

सा.का.नि. 747(अ). स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, पहली अक्तूबर, 2009 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2010 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तें अधिसूचित करती हैं:-

1. खेती करने के स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए।

2. कृषि हेतु पात्रता

इस अधिसूचना के खण्ड 3 और 7 के अध्यधीन निम्नलिखित अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे-

(i) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2008-09 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में औसतन अफीम की उपज कम से कम 53 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 46 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत अफीम उपज सौंपी थी।

- (ii) किसान जिन्होंने इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2008-09 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल को नष्ट किया हो ।
- (iii) किसान जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2008-09 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो।
- (iv) किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2006-07 अथवा किसी अगले वर्ष में पोस्त की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में अफीम लाइसेंस के लिए पात्र थे, किन्तु किसी कारणवश, स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा, जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती वास्तव में न की हो।
- (v) किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2006-07 अथवा अनुवर्ती फसल वर्ष के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और न्यूनतम अर्हक उपज के अनुसार अफीम सौंपी थी परन्तु जिन्हें अनुवर्ती वर्ष के दौरान लाइसेंस इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला द्वारा उनके अफीम में गाढ़ापन 55 डिग्री से कम पाया गया था।
- (vi) किसान जिन्होंने वर्ष 2003-04 अथवा किसी अनुवर्ती वर्ष के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और न्यूनतम अर्हक उपज के अनुसार अफीम सौंपी थी परन्तु उन्हें अनुवर्ती वर्ष के दौरान लाइसेंस इसलिए प्रदान नहीं किया गया क्योंकि राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला द्वारा उनके अफीम में मिलावट पाई गई थी और उसे 'घटिया' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- (vii) किसान जिन्हें फसल वर्ष 2004-05 अथवा किसी अनुवर्ती फसल वर्ष के लिए अफीम पोस्ट की खेती का लाइसेंस जारी किया गया था परन्तु दो अथवा इससे अधिक वर्षों तक लगातार अफीम पोस्त फसल उखाइने के कारण अनुवर्ती वर्ष के दौरान उन्हें लाइसेंस नहीं दिया गया था।
- (viii) किसान जिन्होंने वर्ष 2003-04 अथवा किसी अनुवर्ती वर्ष के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी परन्तु न्यूनतम अर्हक उपज की शर्त पूरी नहीं कर पाने के कारण जिन्हें अनुवर्ती वर्ष के दौरान लाइसेंस नहीं दिया गया था, परन्तु जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य में कम से कम 53 कि.ग्रा./हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश राज्य में 46 कि.ग्रा./हेक्टेयर की फसल दी थी और अन्यथा पात्र थे।
- (ix) किसान जो विकलांग पात्र किसानों के कानूनन वारिश हैं और यदि वे एक से अधिक ऐसे कानूनन वारिश हैं तो उनमें से एक को लाइसेंस के उद्देश्य के लिए कानूनन वारिश के रूप में जिला अफीम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।



3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित बातों की पुष्टि न कर दे कि:-

- (i) उसने फसल वर्ष 2008-09 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती नहीं की है।
- (ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती नहीं की है तथा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगाया गया है;
- (iii) फसल वर्ष 2008-09 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्ही विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया है;

4. अधिकतम क्षेत्र

- (i) सभी पात्र किसानों को खंड 2 (i) और 2 (ii) के अंतर्गत 35 आरी के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। तथापि उन किसानों को 50 आरी के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा जिन्होंने खंड 2(i) श्रेणी के अंतर्गत औसतन 60 कि.ग्रा./हे. और उससे अधिक की उपज दी है। अन्य पात्र किसानों को खंड 2 (iii) से 2 (ix) के अंतर्गत 25 आरी के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। किसान लाइसेंस शुदा क्षेत्र से कम क्षेत्र में खेती कर सकते हैं।
- (ii) 50 आरी के क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्राप्त किसान अधिकतम चार भूखंडों में अफीम पोस्त बो सकते हैं, 35 आरी के क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्राप्त किसान अधिकतम तीन भूखंडों में अफीम पोस्त बो सकते हैं और 25 आरी के क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्राप्त किसान अधिकतम दो भूखंडों में अफीम पोस्त बो सकते हैं।

5. पूर्व चेतावनी

- (i) अनुवर्ती फसल वर्ष अर्थात 2010-11 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु फसल वर्ष 2009-10 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रति हैक्टेयर 58 किलोग्राम और उत्तर प्रदेश में प्रति हैक्टेयर 52 किलोग्राम की न्यूनतम अर्हक उपज अवश्य सौंपी जानी चाहिए।
- (ii) वर्ष 2009-10 के दौरान सौंपी गई अफीम में शामिल मॉर्फिन अवयव फसल वर्ष 2009-10 के लिए भुगतान का तथा फसल वर्ष 2010-11 में लाइसेंस हेतु पात्रता का आधार बन सकता है, यदि सरकार इस संबंध में ऐसा करने का निर्णय लेती है।

- (iii) ऐसे कृषक जिन्होंने फसल वर्ष 2008-09 के दौरान अपनी सम्पूर्ण पोस्त की फसल नष्ट की हो, वे फसल वर्ष 2010-11 में लाइसेंस के पात्र उस स्थिति में नहीं होंगे, यदि उन्होंने फसल वर्ष 2009-10 में भी अपने फसल को पूरी तरह से उखड़वा दिया हो।
- (iv) ऐसे किसान अगले फसल वर्ष 2010-11 में लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे जिनकी फसल वर्ष 2009-10 की अफीम में पानी की मिलावट पाई गई हो तथा उसका गाढ़ापन 55 डिग्री से कम पाय गया हो।
- (v) ऐसे किसान जिनकी फसल वर्ष 2009-10 की अफीम राजकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच अथवा गाजीपुर द्वारा मिलावटी पाई जाती है तथा घटिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है वे अगले वर्ष 2010-11 में लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे।

6. माफी योग्य सीमा

यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंसशुदा क्षेत्र से 5 प्रतिशत तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है।

7. विविध

- (i) किसान, जो वर्ष 2009-10 के दौरान अफीम पोस्त की खेती अपने भूखंड पर नहीं, बिल्क दूसरों से पट्टे पर लिए गए भूखंड पर करता है, भूखंड के स्वामी का ब्यौरा, सर्वेक्षण संख्या और स्वापक आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य ब्यौरा प्रदान करेगा।
- (ii) सामान्य लाइसेंस शर्तें स्वापक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त समझे जाने पर लाइसेंस जारी करने/जब्त करने के संबंध में स्वापक आयुक्त/स्वापक उपायुक्त के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह रहित हैं।
- (iii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिगृहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने निर्धारित उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा।
- (iv) लाइसेंस इस अतिरिक्त शर्त के अध्यधीन होगा कि अफीम को निकाले बिना पोस्त भूसी प्राप्त करने के लिए किसी भी खेत को चुना जा सकता है। जिन किसानों के खेत ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अन्यथा पात्र होने पर अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे।

- (v) किसी किसान द्वारा सौंपी गई अफीम की मात्रा की गणना राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर में किए गए विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री गाढ़ेपन पर की जाएगी ।
- (vi) ऊपर वर्णित किसी भी बात के होते हुए भी ऐसे किसी भी गांव में अफीम की खेती की अनुमित नहीं दी जाएगी जहां पात्र किसानों की संख्या 5 अथवा इससे कम हो। तथापि, ऐसे गांवों के संबंध में, जहां कहीं संभव हो, प्रभावित किसानों को उन पड़ोसी गांवों में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया जाएगा जहां अफीम की खेती करने की अनुमित है।

[फा. सं. एन-14011/1/2009-स्वापक नियंत्रण-1] विमला बक्शी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2009

G.S.R. 747(E). — In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of licence specified below for cultivation of opium poppy on account of the Central Government during the Opium Crop Year commencing on the 1st day of October, 2009 and ending with the 30th day of September, 2010.

PLACE OF CULTIVATION

Poppy cultivation may be licensed in any such tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. ELIGIBILITY FOR CULTIVATION

Subject to clauses 3 and 7 of this notification, the following shall be eligible for a licence to cultivate opium poppy:

(i) Cultivators who had cultivated opium poppy during the crop year 2008-09 and tendered an average yield of opium of not less than 53 kg/hectare in the States of Madhya Pradesh and Rajasthan and an average yield of opium of not less than 46 kg/hectare in the State of Uttar Pradesh.

37079009-2

- (ii) Cultivators who ploughed back their entire opium poppy crop cultivated during the crop year 2008-09 under the supervision of the Central Bureau of Narcotics in accordance with the provisions in this regard.
- (iii) Cultivators whose appeal against refusal of license has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2008-09.
- (iv) Cultivators who cultivated opium poppy in the crop year 2006-07 or during any subsequent crop year and were eligible for a license in the following crop year, but did not voluntarily obtain a license for any reason, or who, after having obtained a license for the following crop year, did not actually cultivate opium poppy due to any reason.
- (v) Cultivators who cultivated opium poppy during 2003-04 or during any subsequent year and had tendered opium as per the MQY but who were denied licences during the following year due to tendering opium whose consistence was found less than 55 degrees by the GOAWs.
- (vi) Cultivators who cultivated opium poppy during 2003-04 or during any subsequent year and had tendered opium as per the MQY but who were denied licences during the following year due to tendering opium which was found to be adulterated and classified as 'inferior' by the GOAWs.
- (vii) Cultivators who were issued licences to cultivate opium poppy for crop year 2004-05 or any subsequent crop year but who were denied licences during the following year for uprooting opium poppy crop continuously for two or more years.
- (viii) Cultivators who had cultivated opium poppy during 2003-04 or any subsequent year but who were denied licences during the following year for failing to meet the MQY but who had tendered at least 53 kg/ha in the States of Madhya Pradesh and 46 kg/ha in the State of Uttar Pradesh provided they were otherwise eligible.

(ix) Cultivators who are the legal heirs of deceased eligible cultivators and in case there are more than one such legal heir, the one determined by the district Opium Officer as legal heir for the purpose of the licence.

CONDITIONS OF LICENCE

No cultivator shall be granted licence unless he/she satisfies that:

- (i) He/She did not, in the course of actual cultivation, exceed the area licenced for poppy cultivation during the crop year 2008-09 beyond the '5% Condonable Limit' allowed in the licensing policy.
- (ii) He/She did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made there under;
- (iii) He/she did not during the crop year 2008-09 violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/Narcotics Commissioner to the cultivators.

4. MAXIMUM AREA

- (i) All eligible cultivators under clause 2(i) and (ii) will be issued licence for 35 ares. However, cultivators who tendered average yield of 60 kg / hectatre and above under clause 2(i) category will be issued licence for 50 ares. Other eligible cultivators under clause 2(iii) to 2(ix) will be issued licence for 25 Ares. The cultivators can cultivate in an area less than the licenced area.
- (ii) Cultivators licensed an area of 50 Ares can sow opium poppy in not more than four plots, those licensed an area of 35 Ares can sow opium poppy in not more three plots and those licensed an area of 25 Ares can sow opium poppy in not more than two plots.

5. FOREWARNING

- (i) A Minimum Qualifying yield of 58 kg/hectare in Madhya Pradesh and Rajasthan and 52 kg/hectare in Uttar Pradesh must be tendered during the crop year 2009-10 to become eligible for a licence to cultivate opium poppy in the following year i.e. 2010-11.
- (ii) Morphine content of opium tendered during 2009-10 may become the basis for payment for the crop year 2009-10 and eligibility for licence in crop year 2010-11, if the Government decides to do so in this regard.
- (iii) Cultivators who had fully ploughed back their entire poppy during crop year 2008-09 would not be entitled for licence in the crop year 2010-11, if they also uprooted their crop fully in the crop year 2009-10.
- (iv) Cultivators, whose opium for the crop year 2009-10 is found to be 'water mixed' and of consistency lower than 55 degrees will not be eligible for a licence in the next crop year 2010-11.
- (v) Cultivators whose opium for the crop year 2009-10 is found to be adulterated and classified as 'inferior' by the Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur will not be eligible for licence in the next crop year 2010-11.

6. CONDONABLE LIMIT

If the area actually cultivated is up to 5% in excess of the licenced area, such excess cultivation may be condoned.

7. MISCELLANEOUS

(i) Any cultivator who cultivates opium poppy during 2009-10 not on his own land but in the land leased from others shall provide details of owner of the plot, survey number and any other details as may be directed by the Narcotics Commissioner.

- (ii) These General Licensing Conditions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/Deputy Narcotics Commissioner to issue/withhold a licence whenever it is deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotics Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.
- (iii) The licence will be subject to the condition that any field may be taken over for any research that may be conducted by the Government directly or in collaboration with any specialised institution or agency. The cultivator whose field is selected for research shall be considered for licence for the next year if he/she has tendered the stipulated MQY and is otherwise eligible. The area taken over for research will not be taken into account while calculating the yield.
- (iv) The licence shall be subject to the further condition that any field may be selected for obtaining poppy straw without extraction of opium. Cultivators whose fields are selected for such use shall be eligible for a licence for the next crop year, if otherwise eligible.
- (v) The quantity of opium tendered by a farmer will be calculated at 70° consistency, on the basis of analysis by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur.
- (vi) Notwithstanding anything stated above, opium cultivation will not be allowed in any village where the number of eligible cultivators is five or less. However in respect of such villages, wherever possible, the affected cultivators will be given an option to shift to such neighbouring village where opium cultivation is permitted.

[F. No. N. 14011/1/2009-NC-1] VIMLA BAKSHI, Under Secy.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 599] No. 599] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 2009/आश्विन 24, 1931

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2009/ASVINA 24, 1931

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 16 अक्तूबर 2009

सा.का.नि. 756(अ)— इस मंत्रालय की दिनांक 13.10.2009 की अधिसूचना सं. 747 (अ) के हिन्दी संस्करण में निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं :

- (i) मद सं.2 (v) की प्रथम पंक्ति में शब्द 2006-07 को 2003-04 से प्रतिस्थापित किया जाए
- (ii) मद सं. 2(viii) की तीसरी पंक्ति में, शब्द "मध्य प्रदेश" के बाद "और राजस्थान" प्रविष्ट किया जाए
- (iii) मद सं. 2 (ix) की प्रथम पंक्ति में "विकलांग" शब्द को "मृतक" से प्रतिस्थापित किया जाए
- (iv) मद सं. 3 (i) को "उसने फसल वर्ष 2008-09 के दौरान, पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस शुदा वास्तविक क्षेत्र के अलावा लाइसेंस नीति में अनुमत्य 5% की क्षम्य सीमा से अधिक क्षेत्र में खेती नहीं की है।" से प्रतिस्थापित किया जाए ।

[फा. सं. एन 14011/1/2009-एन सी]] भी वी सुब्बा राव, निर्देशक (एन सी)

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2009

G.S.R. 756(E). —In the fourth line of item No.2(viii) of English version of Ministry's Notification *vide* G.S.R. 747(E) dated 13.10.2009, the words "and Rajasthan" may be added after the word 'Madhya Pradesh'.

[F. No. N. 14012/1/2009-NC-1] P.V. SUBBA RAO, Director (NC)